

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए राशि ₹ 27130.00 लाख का व्यय संभावित है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,71,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 2 से 5

उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के लिए वेतन एवं मंहगाई भत्ते इत्यादि के लिए राशि ₹ 237.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 6

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु राज्यांश राशि ₹ 734.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण सामग्री और पूर्तियाँ, अन्य व्यय के लिए राशि ₹ 130.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु राशि ₹ 20000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

रियायती दर पर आयोडाइज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान पर अतिरिक्त राशि ₹ 185.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,85,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

शक्कर वितरण योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता हेतु राशि ₹ 414.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,14,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 11

राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण के लिए राशि ₹ 5600.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 56,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।